

प्रश्न सं. [क. 4466]

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

परिशिष्ट - एक

क्रमांक/बी-7/2/दतिया/बी.ओ.टी./2018/3531

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,
दतिया जिला दतिया (म.प्र.)

3539

विषय:- कृषि उपज मण्डी दतिया में स्थापित 60 मे. टन बी.ओ.टी. तौलकांटे को आबंटन में हुई अनियमितताओं के कारण बी.ओ.टी. तौलकांटा एवं संबंधित संरचनायें राजसात करने बाबत।

संदर्भ:- श्री अजय कुमार जैन 64 विट्ठल नगर लालघाटी भोपाल से प्राप्त शिकायत दिनांक 24.10.2017

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित शिकायत की जांच में, कृषि उपज मंडी समिति, दतिया 60 मे. टन क्षमता के बी.ओ.टी. तौलकांटा की स्थापना हेतु दिनांक 25.04.2011 को निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदाकारों को निविदा डालने हेतु निम्नानुसार अर्हता थी :-

1. किसी भी नजदीकी संबंधी के मण्डी प्रशासन में होने संबंधी जानकारी शपथ पत्र 100 के स्टाम्प पर।
2. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया वर्ष 2008-09 का आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।
3. सेल्स टैक्स विभाग द्वारा जारी किया गया वर्ष 2008-09 का वैट टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट।

किन्तु सफल निविदाकार श्री संजय यादव प्रो. मेसर्स मानवेन्द्र कं. कम्पनी दतिया द्वारा उपरोक्त अर्हता पूर्ण करना जांच में नहीं पाया गया, फिर भी मंडी समिति दतिया द्वारा उनकी निविदा स्वीकार की गई एवं खोली गई। अतः यह एक दूषित निविदा का प्रकरण है।

उक्त तौलकांटा संचालक द्वारा वर्ष 2011 में तौलकांटा स्थापना उपरांत मंडी को देय भूखण्ड का किराया एवं वार्षिक प्रीमियम की राशियां पूर्ण रूप से मंडी दतिया में जमा नहीं कराई गई। प्राप्त शिकायत में दिये गये विवरण अनुसार शेष राशियों की गणना कराई गई है जो वर्तमान में अगुबंध की कंडिका 19 के प्रावधानों के मान से भूखण्ड किराया राशि ₹90,893/- एवं वार्षिक प्रीमियम की राशि 65,03,540/- शेष है। (कुल राशि 66,94,433.00) (अंकन छियासठ लाख चौरानवे हजार चार सौ तैतीस मात्र) पूर्व में मंडी समिति दतिया द्वारा भूखण्ड की शेष राशि रुपये 1,77,231/- एवं वार्षिक प्रीमियम की शेष राशि 36,87,652/- कुल राशि रुपये 38,64,883/- (अंकन अडतीस लाख चौसठ हजार आठ सौ तेरासी मात्र) की वसूली हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक श्री संजय यादव प्रो. मेसर्स मानवेन्द्र कं. कम्पनी दतिया को पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 19.12.2017 से एवं पत्र क्रमांक 1533 दिनांक 29.12.2017 से नोटिस भी भेजे गये जिन्हें लेने से श्री संजय यादव, प्रो. मे. मानवेन्द्र कं. कम्पनी द्वारा इंकार करने से उक्त नोटिस मंडी समिति दतिया को वापस प्राप्त होने के कारण समाचार पत्रों दैनिक भास्कर दिनांक 22.02.2018 एवं दैनिक दतिया प्रकाश में दिनांक 22.02.2018 से सूचना प्रकाशित कराई गई किन्तु श्री संजय यादव प्रो. मे. मानवेन्द्र कं. कम्पनी द्वारा उसके उपरांत भी न

145

(क्षमाप्रतिस्वीकृत)

सचिव

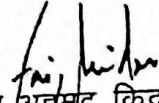
कृषि उपज मण्डी समिति
दतिया (म.प्र.)कार्यालय संत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Scanned by CamScanner

तो आज दिनांक तक शेष राशि जमा की गई न ही इस संबंध में कोई उत्तर मंडी से दतिया को दिया गया। उक्त स्थिति एवं अनियमितता अत्यंत गंभीर है।

अतः अनुबंध की कंडिका 19 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये, तौलकांटा संचालक मेसर्स मानवेन्द्र कं. कम्पनी दतिया द्वारा बी.ओ.टी. तौलकांटे की किराया राशि एवं वार्षिक प्रीमियम राशि रुपये 66,94,433/- (रुपये छियासठ लाख चौरानवे हजार चार सौ तेतीस मात्र) निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने के कारण तौलकांटा का अनुबंध तत्काल निरस्त किया जाता है, साथ ही उक्त प्रावधान अनुरूप तौलकांटे को एवं अन्य संरचनाओं तथा केविन आदि को तत्काल राजसात किया जाता है।

वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही अनुबंध की धारा 19 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार सुनिश्चित की जावे। यदि संबंधित द्वारा वसूली योग्य राशि मंडी समिति में जमा नहीं की जाती है तो आर.आर.सी. के माध्यम से वसूली योग्य राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावे। की गई कार्यवाही की प्रगति से साप्ताहिक रूप से इस कार्यालय को अवगत कराया जावे।


(फैज अहमद किदवई)

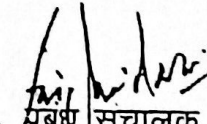
प्रबंध संचालक

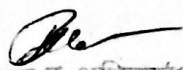
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक ०५/०५/२०१८

क्रमांक/बी-७/२/दतिया/२०१८/३५५२-
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कलेक्टर, दतिया जिला दतिया (म.प्र.)
2. संयुक्त संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, ग्वालियर जिला ग्वालियर।


प्रबंध संचालक 4/5
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
कृषि- कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल